

सं. Au/Admn.III/NPS to CCS (Pension)

दिनांक: 20.07.2026

अनुभागीय आदेश सं. 123/SECTIONAL ORDER No. 123

विषय/Sub: - एनपीएस के स्थान पर सीसीएस (पेंशन) नियमों के अंतर्गत कवरेज - अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए सीसीएस (पेंशन) नियमों में शामिल करने हेतु निर्णायक तिथि पर विचार।

Coverage under CCS (Pension) Rules, in place of NPS- Consideration of crucial date for compassionate appointments for inclusion under the CCS (Pension) Rules.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 22.06.2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/05/2021-P&PW(B)/Compassionate/10593 के अनुसार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए, आवेदन की तिथि को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) में अंतरण के लिए निर्णायक तिथि मानी जाएगी।

As per the OM No. 57/05/2021-P&PW(B)/Compassionate/10593 dated 22.06.2026 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension & Pensioners' Welfare, for compassionate appointments, the date of application shall be treated as the crucial date to switch over from the National Pension System to Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021).

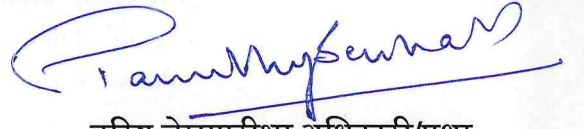
तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस कार्यालय में कार्यरत श्री सुनीलकुमार के., सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए विकल्प पर विचार किया गया और पात्र पाए जाने पर, उन्हें सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) में अंतरित होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Accordingly, the competent authority had considered the option exercised by the Shri Sunilkumar K, AAO in this office and as being found eligible, is permitted to switch over to CCS (Pension) Rules, 1972(now 2021).

श्री सुनीलकुमार के., सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा अंतरण के लिए दिए गए विकल्प को अंतिम माना जाता है। संबंधित अधिकारी को सामान्य भविष्य निधि में अभिदान करना आवश्यक है। एनपीएस खाते में अंशदान राशि का लेखांकन, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार होगा।

The option exercised by Shri Sunilkumar K, AAO for switchover is treated as final. The official is required to subscribe to General Provident Fund. Accountal of corpus in NPS account will be guided by GOI instructions issued vide Dept. of Pension and Pensioners' Welfare OM dated 03.03.2023.

(महालेखाकार के दिनांक 17.07.2026 के आदेशानुसार)
(vide orders dated 17.07.2026 of Accountant General)



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा.
Senior Audit Officer/Admn

प्रतिलिपि/To

1. अनु. आ. पुस्तिका /S.O.Book
2. श्री सुनीलकुमार के, सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी / Shri Sunilkumar K, AAO
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /का. स्था., शा. कार्यालय, तृशूर/Sr.AO/OE, Br.Office, Thrissur
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /का. स्था.(बिल्स/रोकड़/हक.)/ Sr.AO/ OE (Bills/Cash/Entt.) Au- I
5. सभी शाखा कार्यालय /All Branch Offices
6. पेंशन इकाई /Pension Unit
7. आई ए /प्रशिक्षण कक्ष /गो. कक्ष /सामान्य अनुभाग /हिन्दी कक्ष –लेखापरीक्षा I/IA Section /
Trg.Cell/ C.Cell / Gl.Sn./Hindi Cell- Au- I
8. आईटीएस कक्ष – वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु /ITS Cell- for uploading in the website
9. पीएओ /PAO I, II and III
10. सेवा संघ /Service Associations
11. सूचना पट्ट /Notice Board
12. व्यक्तिगत फाइल /Personal Files